



कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरणडा, राँची-834002, Phone-0651-2481909 (O) / 2480413 (F), e-mail-pccfjharkhand@yahoo.co.in

पत्रांक: ५बी०स्थाठ्य०/ वनकुप-०९(२०१७-१८) ८६१

दिनांक: २४-२-१८

प्रेषकः

संजय कुमार, भा०व०से०,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

विषयः वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना व्यय (विस्तृत), मांग संख्या-19, मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, 01-वानिकी,, 101-वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण "03- वन कुपों की स्थापना" उपशीर्ष के विभिन्न इकाईयों में राशि की आवंटन के संबंध में।

प्रसंगः— योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड सरकार का पत्रांक-29/
बी०टी०ई०-१२/२०१६-१७ / ११३/बजट राँची, दिनांक 27.02.2017।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रासंगिक पत्र से राशि व्यय करने की प्राप्त अनुमति के आलोक में "03- वन कुपों की स्थापना" उपशीर्ष के विभिन्न इकाईयों में कुल रु० 1.75 लाख रु० की अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

1. यह आवंटन योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखण्ड सरकार राँची के पत्रांक-29 / बी०टी०ई०-१२/२०१६-१७ / ११३/बजट राँची, दिनांक 27.02.2017 तथा बिहार सरकार, वित्त विभागीय ज्ञाप संख्या-एम०-४-०५/९८ २५६१/वि० (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में किया जाता है।
2. रोकड़ प्रवाह (कैश फ्लो) के संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक वित्त ४-२३/२००३ / १८०० दिनांक 15.07.2003 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. आवंटन पत्र में अंकित विपत्र कोड के अनुसार ही लेखा संधारण किया जाय।
4. ०३-मजदूरी इकाई में आवंटित राशि जिन कुपों में संभव हो वहाँ Thining singling का कार्य कराये जाने हेतु है।

आवंटन आदेश पत्र संख्या—BHAEFC/03-17-18/13EFC की मूल प्रति
अत्र—सह—संलग्न है।
अनु०—यथो०।

विश्वासभाजन

२०१८
२३ अप्र०

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

Forest, Environment and Climate Change Department

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नान्वित दशाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - BHAEFC/03-17-18/13EFC

दिनांक - 28-Feb-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एकलेस नं	निकासी एवं व्यवन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101030103	101272	HZBFWL048 SANJEEV KUMAR R.C.C.F.HZB	50,000.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन मंत्रालय, विकास तथा संरोधण 03 - वन कूपों की स्थापना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी			रुपये पचास हजार
	Establishment Expenditure			
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
2	S 19 240601101030323	101276	HZBFWL048 SANJEEV KUMAR R.C.C.F.HZB	50,000.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन मंत्रालय, विकास तथा संरोधण 03 - वन कूपों की स्थापना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री			रुपये पचास हजार
	Establishment Expenditure			
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
3	S 19 240601101030333	101279	HZBFWL048 SANJEEV KUMAR R.C.C.F.HZB	50,000.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन मंत्रालय, विकास तथा संरोधण 03 - वन कूपों की स्थापना 03 - प्रशासनिक व्यय 33 - दूरभाष			
	Establishment Expenditure			
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
				150,000.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये एक लाख पचास हजार

*Sanjay Kumar
28/2/18*
(SANJAY KUMAR)

Principal Conservator of Forests,
Jharkhand, Ranchi

1641003521

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवृत्ति राशि
4	S 19 240601101030442 2406 - बालिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - बालिकी 101 - बन संरक्षण, विकास तथा संरोधण 03 - बन कृपों की स्थापना 04 - मोटरगाड़ियाँ / ईंधन 42 - मोटरगाड़ी ईंधन एवं चरम्भाति	101282	HZBFWL048 SANJEEV KUMAR R.C.C.F.HZB	25,000.00
				रुपये पच्चीस हजार
				
	Establishment Expenditure			
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		



योग:

25,000.00

क्रमिक योग:

रुपये एक लाख पचाहतार हजार

175,000.00

Sanjay Kumar
28/2/18
(SANJAY KUMAR)

PCCE JHARKHAND, RANCHI
Principal Chief Conservator of Forests
Jharkhand, Ranchi

164, 100, 102, 103

AM

Run Date: 28/2/2018